

ऑनलाइन वेबपोर्टल द्वारा

आवेदिका सुरभि जैन

नि0- फ्लैट न0 802 प्लेटिना हाइट्स


जनपद – फिरोजाबाद ।

कृपया आप अपने ऑनलाइन पत्र दिनांकित 14.08.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम – 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत अपेक्षित सूचना उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ।

अतः आपके ऑनलाइन प्रार्थना पत्र पर कार्यावाही करते हुए चाही गयी सूचना सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी से प्राप्त कर सूचना का अधिकार अधिनियम- 2005 के अंतर्गत नियमानुसार प्राप्त कर ऑनलाइन आपको प्रेषित की जा रही है ।
कृपया प्राप्ति स्वीकार करें ।

पत्रांक: आरटीआई SPFZB/R/2025/60379

दिनांक:- सितम्बर, , 2025

 2/9/25

पुलिस अधीक्षक,(ग्रामीण)/
नोडल अधिकारी जनसूचना,
जनपद फिरोजाबाद ।

अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण,
नोडल अधिकारी जनसूचना
जनपद फिरोजाबाद।

कृपया आप अपने पत्रांक: आरटीआई SPFZB/R/2024/60379 दिनांक 14/08/2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से आवेदिका सुरभि जैन निवासी फ्लैट नं0 802 प्लेटिना हाइट्स जनपद फिरोजाबाद के द्वारा मांगी गयी सूचना उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है।


उक्त परिप्रेक्ष्य में सादर अवगत कराना है कि सदर क्षेत्र के थाना साइबर अपराध से प्राप्त आख्या संलग्न कर अवलोकनार्थ सादर प्रेषित है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित है।

संलग्न: यथोपरि।

पत्रांक: आर-सीओएस(आरटीआई)/2025

दिनांक: अगस्त 27, 2025


(चंचल त्यागी)
क्षेत्राधिकारी सदर
फिरोजाबाद

रिपोर्ट थाना साइबर क्राइम जनपद फिरोजाबाद

सेवा में,

श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय
नोडल अधिकारी जनसूचना फिरोजाबाद।

विषय:-पत्रांक आरटीआई -SPFZB/2025/60379 दिनांक 14.08.2025 आवेदिका सुरभी जैन नि0-फ्लैट नं-802 प्लाटीना हाइटस जनपद फिरोजाबाद द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के सम्बन्ध में बिन्दुवार आख्या

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आवेदिका सुरभी जैन नि0-फ्लैट नं-802 प्लाटीना हाइटस जनपद फिरोजाबाद द्वारा जनसूचना अधिकार अधिनियम सन 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संदर्भ में अवगत कराना है जिसके सम्बन्ध में सूचना बिन्दुवार निम्नलिखित है।

- 1- आवेदिका के पिता श्री आशीष जैन पुत्र स्व0 वीरेन्द्र कुमार निवासी प्लेटिना हाइटस फ्लैट नं0 802 ढोलपुरा रोड थाना लाइनपार द्वारा सूचना का अधिकार 2005 की धारा 11 के तहत अपना आवेदन दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा अंकित किया गया है कि मेरी सूचना मेरे द्वार गोपनीय रखी गयी है जो किसी अन्य को न दी जाये जो कि प्रार्थना पत्र संख्या -1160/2024 इसके अन्तर्गत आता है। उक्त सम्बन्ध में सूचनाए आवेदिका सुरभी जैन उपरोक्त को देय नहीं है।
- 2- कोई न्यायलय आदेश नहीं भेजा गया है।
- 3- आवेदिका के पिता श्री आशीष जैन उपरोक्त द्वारा दिनांक 07.09.2024 को गुमशुदगी थाना लाइनपार में दर्ज की गयी थी। जिसकी जाँच उ0 नि0 मनीष कुमार थाना लाइनपार द्वारा की गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदिका के पिता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र -1160/2024 दिनांक 07.10.2024 को थाना साइबर क्राइम पर तलाश हेतू दिया गया था जिसमें आवेदिका सुरभी जैन के आधार कार्ड व पैन कार्ड के द्वारा HDFC BANK से मेल द्वारा डिटेल्स प्राप्त की गयी थी जो की सम्बन्धित थाना लाइनपार को डिटेल्स के साथ प्रेषित की गयी थी।
- 4- आवेदिका के पिता श्री आशीष जैन उपरोक्त द्वारा दिनांक 07.09.2024 को जी0 डी0 नं0-65 में गुमशुदगी थाना लाइनपार में दर्ज की गयी थी। जिसकी जाँच उ0 नि0 मनीष कुमार थाना लाइनपार द्वारा की गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदिका के पिता द्वारा एक शिकायती प्रार्थना पत्र -1160/2024 दिनांक 07.10.2024 को थाना साइबर क्राइम पर तलाश हेतू दिया गया था जिसमें दिनांक 08.10.2024 को समय 10.24 AM पर आवेदिका सुरभी जैन के

आधार कार्ड व पैन कार्ड के द्वारा HDFC BANK से मेल करके दिनांक 09.10.2024 को मेल द्वारा डिटेल्स प्राप्त की गयी थी जो की सम्बन्धित थाना लाइनपार को डिटेल्स के साथ प्रेषित की गयी थी।


5-आवेदिका के डाटा को आवेदिका के पिता आशीष जैन को थाना साइबर क्राइम द्वारा साझा नहीं किया गया है बल्कि समस्त डिटेल्स के साथ सम्बन्धित थाना लाइनपार को डाटा प्रेषित किया गया है।

6- आवेदिका के पिता श्री आशीष जैन के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट का हस्तक्षेप न करने का आदेश कोई भी रिकार्ड में नहीं था और न ही किसी प्रार्थना पत्र के साथ थाना साइबर क्राइम को दिया गया है और न ही इस सम्बन्ध में कोई विचार किया गया है।

7- आवेदिका के पिता श्री आशीष जैन पुत्र स्व० वीरेन्द्र कुमार निवासी प्लेटिना हाईटस फ्लैट नं० 802 ढोलपुरा रोड थाना लाइनपार द्वारा सूचना का अधिकार 2005 की धारा 11 के तहत अपना आवेदन दिया गया है, जिसमें उसके द्वारा अंकित किया गया है कि मेरी सूचना मेरे द्वारा गोपनीय रखी गयी है जो किसी अन्य को न दी जाये जो कि आशीष जैन के द्वारा दिये गये सभी प्रार्थना पत्र इसके अन्तर्गत आते हैं। उक्त सम्बन्ध में सूचनाएँ आवेदिका सुरभी जैन उपरोक्त को देय नहीं है।

उल्लेखनीय है कि आवेदिका सुरभी जैन उपरोक्त द्वारा अपने पिता आशीष जैन उपरोक्त के विरुद्ध थाना लाइनपार में मु० अ० सं०-149/2025 धारा 117(2)/127(2)/140(1)/351(2) बीएनएस पंजीकृत है। जिसकी विवेचना वर्तमान में थाना लाइनपार में प्रचलित है।

रिपोर्ट आख्या सादर सेवा में प्रेषित है।


प्रभारी निरीक्षक
थाना साइबर क्राइम
जानपद, किरावाबाद
किरावाबाद